मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक एफ 15–01/2014/1–10 भोपाल, दिनांक 26/12/2020

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश

विषयः– भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में धारा 17–ए जोड़े जाने के फलस्वरूप पुलिस अधिकारी द्वारा लोक सेवकों (शासकीय अधिकारी एवं कर्मचारी) के विरूद्ध जांच या पूछताछ या अन्वेषण करने हेतु पूर्वानुमति जारी करने की प्रक्रिया बाबत्।

---0---

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 17–ए के अनुसार किसी लोक सेवक के द्वारा शासकीय कृत्य या कर्तव्यों के निर्वहन में की गई सिफारिशों या किए गए विनिश्चय के संबंध में अपराधों की जांच या पूछताछ या अन्वेषण किसी पुलिस अधिकारी द्वारा बिना राज्य शासन की पूर्वानुमति के नहीं किया जा सकता।

ऐसी पूर्वानुमति प्राप्त करने के लिए निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित की जाती हैः–

(1) राज्य शासन की धारा 17–ए के अंतर्गत पूर्वानुमति प्राप्त करने के लिए अन्वेषण एजेंसी का प्रमुख ऐसे शासकीय कृत्य या कर्तव्यों के निर्वहन में की गई सिफारिशों या किए गए विनिश्चय जिसके संबंध में कथित अपराध की जांच या पूछताछ या अन्वेषण करने के लिए समस्त वांछित अभिलेख सहित अपना प्रतिवेदन संबंधित प्रशासकीय विभाग को प्रेषित करेगा।

(2) प्रशासकीय विभाग परीक्षण कर प्रकरण में अपने स्पष्ट अभिमत सहित समन्वय में प्रस्तुत करेगा। तदानुसार प्राप्त आदेश के अनुसार अन्वेषण एजेंसी को पूर्वानुमति मान्य अथवा अमान्य करने की संसूचना दी जावेगी।

.....2/–

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए।

(डॉ. श्रीनिवास शर्मा)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ. क्रमांक एफ 15–01/2014/1–10 भोपाल, दिनांक 26 /12/2020

प्रतिलिपिः–

1. महानिदेशक, लोकायुक्त संगठन (विशेष पुलिस स्थापना), म0प्र0 भोपाल
2. महानिदेशक, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, भोपाल
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
4. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मध्यप्रदेश, भोपाल
5. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर
6. सचिव, लोकायुक्त संगठन, भोपाल
7. सचिव, म0प्र0 विधान सभा सचिवालय, भोपाल
8. सचिव, म0प्र0 लोक सेवा आयोग, इन्दौर
9. संचालक, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल
10. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्था.) शाखा की ओर विभाग की वेबसाइट/पोर्टल पर अपलोड किए जाने हेतु प्रेषित।
11. रिकार्ड नस्ती

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग